

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, फिरोजाबाद

पत्रांक २१९९ /

दिनांक : फिरोजाबाद: मई २९

2015

सेवा में,

वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

विषय— शिकोहाबाद-मैनपुरी मार्ग (एस0एच0-84) के किमी0 4 व 5 के मध्य बारीयों पटरी के किनारे ग्राम कंधरी, तहसील शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद के खसरा सं0- 820, 821/1, 822/2 पर एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा स्थापित किये जाने वाले रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.0751 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति विषयक ।

महोदय,

निवेदन है कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा शिकोहाबाद-मैनपुरी मार्ग (एस0एच0-84) के किमी0 4 व 5 के मध्य बारीयों पटरी के किनारे ग्राम कंधरी, तहसील शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद के खसरा सं0- 820, 821/1, 822/2 में रिटेल आउटलेट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त रिटेल आउटलेट की स्थापना में शिकोहाबाद मैनपुरी मार्ग की 0.0751 हे0 संरक्षित वन भूमि व आगम व निर्गम मार्ग में दो वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग एवं वृक्षों के पातन सम्बन्धी प्रस्ताव तीन प्रतियों में भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप भाग-11 को पूर्ण कर संस्तुति सहित एवं ऑन लाइन डाटा एन्ट्री का इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि इस अपने स्तर से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को अग्रेसित करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा0 मनोजकुमार शुक्ला)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, फिरोजाबाद।

पत्रांक /

दिनांकित।

सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लिमिटेड, ए-5 सेक्टर 3 नोयडा, 201301 को

(डा0 मनोजकुमार शुक्ला)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, फिरोजाबाद।